भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 918

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई कानूनी सहायता से लाभान्वित कैदी**

**918. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न जेलों में बंद गरीब कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में स्थापित कानूनी सहायता प्रतिष्ठानों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कानूनी सहायता के अभाव में कुल कितने लोग जेलों में बंद है ; और

(घ) कितने गरीब कैदी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लाभान्वित हुए है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन अभिरक्षा में कोई व्यक्ति निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा के लिए पात्र हैं ।

**(ख) :** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली तथा पुडुचेरी राज्यों में से प्रत्येक में 25 विधिक सहायता स्थापनाओं को स्थापित किया गया है ।

**(ग) और (घ) :** वर्तमान में विभिन्न कारागारों में रखे गए व्यक्तियों को उनकी पात्रता और अपेक्षा के अनुसार विधिक सहायता प्रदान की जाती है । विधिक सहायता की अपेक्षा करने वाले ऐसे आवश्यक व्यक्तियों की पहचान विचारणाधीन पुनर्विलोकन समिति और विधिक सहायता क्लीनिक तथा कारागारों में नियमित दौरा करने वाले पैनल अधिवक्ताओं द्वारा की जाती है । चुंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 वर्ष 1995 से प्रचालन में आया, अतः सितंबर, 2017 तक अभिरक्षा में कुल 7.41 लाख व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विधिक सहायता प्रदान की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*